परमवीर सिंह सैनी

बनाम

बालजीत सिंह व अन्य।

(विशेष अवकाश याचिका (आपराधिक) सं। 3543/2020) 02 दिसंबर, 2020 [रोहिंटन फली नरिमन, के०एम०जोसेफ और अनिरुद्ध बोस, जे०जे०)

सी०सी०टी०वी० कैमरा फुटेजः अपराध स्थल पर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी का उपयोग– के एस०एल०पी (क्रमिनल) नंबर. 2302 में दिनांक 03.04.2018 के आदेश में, केंद्र शासित प्रदेश, राज्य सरकारों और अन्य केंद्रीय एजेंसियों के प्रशासकों को निर्देश दिए गए थे कि वे अपराध स्थल पर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के उपयोग को प्रभावी ढंग से लागू करे–14 राज्यों द्वारा दायर अनुपालन शपथ पत्र और कार्रवाई रिपोर्ट प्रत्येक थाने को सी०सी०टी०वी० कैमरों की सटीक स्थिति का खुलासा करने में विफल रही और प्रासंगिकता से वंचित थी। उन्हें इस आदेश के पैरा 8 में उल्लिखित विवरण के अनुसार छह सप्ताह के भीतर अनुपालन शपथ पत्र और कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए निर्देशित किया जाता है–जैसा कि दिनांक 03.04.2018 के अनुसार ओवरसाइट समितियों के गठन के संबंध में है, यह राज्य में किया जाना चाहिए जिला स्तर और राज्य/केंद्र शासित प्रदेश वित्त विभाग उक्त उद्देश्य के लिए जल्द से जल्द धन आवंटित करने के लिए–सी०सी०टी०वी० के काम करने, रखरखाव और रिकॉर्डिंग के लिए कर्तव्य और जिम्मेदारी संबंधित थाने के एस०एच०ओ० की होगी – राज्य और केंद्र शासित प्रदेश संबंधित राज्य और/या केंद्र शासित प्रदेश में कार्य करने वाले प्रत्येक थाने में सी०सी०टी०वी० कैमरों की स्थापना सुनिश्चित करेंगे–सी०सी०टी०वी० सिस्टम के विनिर्देश के बारे में दिशा निर्देश पारित किये गये– थानों पर इस्तेमाल किए गए बल की शिकायतों जिसके परिणामस्वरूप गंभीर चोट और/या हिरासत में मौतें होती हैं के निवारण के लिए प्रत्येक राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के प्रत्येक जिले में मानव अधिकार न्यायालय स्थापित करें –भारत संघ केंद्रीय ओवरसाइट निकाय के संविधान और कामकाज पर अपडेट देते हुए हलफनामा भी दाखिल करें–भारत संघ को जांच/प्रवर्तन एजेंसियों के कार्यालयों में सी०सी०टी०वी० कैमरे और रिकॉर्डिंग उपकरण स्थापित करने के लिए भी निर्देशित किया जाता है – कार्यकारी/प्रशासनिक/पुलिस अधिकारियों ने इस आदेश को जल्द से जल्द लागू करने का निर्देश दिया जाता है।

परमवीर सिंह सैनी बनाम बालजीत सिंह व अन्य ।

क्रिमिनल अपीलेट ज्यूरिफिकेशनः स्पेशल लीव याचिका (आपराधिक) सं० 3543/2020

[पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 22.11.2016 से सी०आर०डब्ल्य०पी नं। 1245/2016]।

सिद्धार्थ दवे, वरिष्ट अधिवक्ता, बांके बिहारी, अधिवक्ता। अपीलार्थी के लिए।

के. के. वेणुगोपाल, एजी, तुषार मेहता, एसजी, सुश्री माधवी दीवान, एएसजी, मनोज कुमार सिंह, सौरभ मिश्रा, नलिन कोहली, एएजी, राकेश द्विवेदी, सीनियर। सलाहकार, सुश्री एलिजा बार, अभिमन्यु तिवारी, अविजीत मणि त्रिपाठी, सुश्री तारिणी के। नायक, एम। योगेश कन्न, राजराजेश्वरन एस।, आदित्य चड़ा, शवोदीप रॉय, कबीर शंकर बोस, राहुल राज मिश्रा, विनोद दिवाकर, सुश्री रुचिरा गोयल, सुश्री दीपानविता प्रियंका, वीजी प्रगसम , चंचल कुमार गांगुली, एस प्रभु रामसुब्रमण्यम, मृगांक प्रभाकर, सुश्री लिज़ मैथ्यू, सिद्धार्थ कोतवाल, सुश्री एना उपाध्याय, निर्मेश दुबे, बीके सतीजा, सुश्री निधि खन्ना, चिन्मयी चंद्र, रजत नायर, बी. वी. बलराम दास, बीएस राजेश अग्रजीत, सुश्री दीप्ति सिंह, सुश्री ज्योति राणा, डीके देवेश, सौमित्रा जी चौधरी, चंचल कुमार गांगुली, सुश्री जसप्रीत गोगिया, करणवीर गोगिया, सुश्री शिवांगी सिंघल, सुश्री नित्या रामकृष्णन, मृगांक प्रभाकर, विनोथना विनजाम, प्रसन्ना, शेखर राज शर्मा, संजय कुमार विसेन, सुश्री के एनाटोली सेमा, अमित कुमार सिंह, पुखरामबम रमेश कुमार, सुश्री अनुपमा एनजी, करुण शर्मा, सुमीर सोदी, हुसैन अली, अर्जुन गर्ग, सुश्री रति टंडन, केवी जगदीशवरन, सुश्री जी। इंदिरा, वीएन रघुपति, सिद्धेश कोतवाल, शाहरुख आलम, सुश्री सोनाली जैन, शांतनु सिंह, अंकुर गुलयानी पांडा, शवोदीप रॉय, अंकित रॉय, राहुल राज मिश्रा, रवि कमल गुप्ता, निकुंज दयाल, सलाहकार। उत्तरदाताओं केलिए।

न्यायालय द्वारा निम्नलिखित आदेश पारित किया गया था

आर०एफ० नरिमन, जे.

1। हमने श्री के. के. वेणुगोपाल, भारत के अटॉर्नी जनरल, सुश्री माधवी दीवान, भारत के सॉलिसिटर जनरल, श्री सिद्धार्थ दवे, वरिष्ठ अधिवक्ता (एमिकस क्यूरीए के रूप में नियुक्त, 16.7.2020 के आदेश के द्वारा), सुश्री नित्या रामकृष्णन, ने हस्तक्षेपकर्ता की ओर से पेश अधिवक्ता और संबंधित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश की ओर से पेश होने वाले विद्वान अधिवक्ता।

2। इस न्यायालय ने एसएलपी (क्राल) सं 2302/2017 में दिनांक 03.04.2018 को आदेश दिया। शफी मोहम्मद के रूप में रिपोर्ट किया गया। हिमाचल प्रदेश राज्य (2018) 5 एससीसी 311, ने निर्देश दिया कि एक केंद्रीय निगरानी निकाय(बाद में "सीओबी" के रूप में संदर्भित) जांच के दौरान अपराध स्थल में वीडियोग्राफी के उपयोग के संबंध में कार्रवाई की योजना को लागू करने के लिए गृह मंत्रालय द्वारा स्थापित किया जाना चाहिए। यह न्यायालय, डी. के. सु बनाम। पश्चिम बंगाल राज्य और अन्य (2015) 8 एससीसी 744 में जारी निर्देशों पर विचार करते हुए। कहा कि निर्देशों की आवश्यकता थी कि प्रत्येक राज्य में एक निरीक्षण तंत्र बनाया जाए जिससे एक स्वतंत्र समिति सी०सी०टी०वी० कैमरा फुटेज और आवधिक का अध्ययन कर सके।इसके अवलोकनों की एक रिपोर्ट प्रकाशित करें। सीओबी को इस संबंध में जल्द से जल्द उचित निर्देश जारी करने के लिए निर्देशित किया गया था।

3. इस न्यायालय ने आगे निर्देश दिया कि सीओबी समय-समय पर उचित निर्देश जारी कर सकता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वीडियोग्राफी का उपयोग चरणबद्ध तरीके से एक वास्तविकता बन जाए, जिसका पहला चरण 15.07.2018 तक लागू किया जाए। सीओबी द्वारा निर्धारित व्यवहार्यता और प्राथमिकता के अनुसार अपराध स्थल वीडियोग्राफी को कम से कम कुछ स्थानों पर पेश किया जाना चाहिए।

4. पूर्वोक्त निर्देशों के अनुसार गृह मंत्रालय द्वारा 09.05.2018 को एक सीओबी का गठन किया गया था (शपथ पत्र दिनांक 26.07.2018 के अनुसार) राज्य द्वारा अपराध स्थल में फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के उपयोग के कार्यान्वयन की देखरेख के लिए/केंद्र शासित प्रदेश सरकार और अन्य केंद्रीय एजेंसियां, वीडियोग्राफी के कार्यान्वयन के लिए एक केंद्रीय सर्वर स्थापित करने की संभावना का सुझाव देने के लिए, और उचित निर्देश जारी करने के लिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वीडियोग्राफी का उपयोग चरणबद्ध तरीके सेएक वास्तविकता बन जाए। तदनुसार, केंद्र शासित प्रदेश, राज्य सरकारों और अन्य केंद्रीय एजेंसियों के प्रशासकों को अपराध स्थल।व अपराध के दृश्यों पर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के उपयोग के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए और वीडियोग्राफी के उपयोग के कार्यान्वयन पर एक कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए निर्देश जारी किए गए थे।

5. इस न्यायालय ने 16.07.2020 के आदेश के द्वारा धारा 161 सीआरपीसी के बयानों की ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग के सवाल पर गृह मंत्रालय को तत्काल विशेष अवकाश याचिका में नोटिस जारी किया, जैसा कि धारा 161 (3) अनंतिम द्वारा प्रदान किया गया है, साथ ही आम तौर पर थानों में सी०सी०टी०वी० कैमरों की स्थापना के रूप में बड़ा सवाल है। नोटिस जारी करते हुए इस न्यायालय ने शफी मोहम्मद (सुप्रा) के निर्देशों पर भी ध्यान दिया।

6. इस न्यायालय ने दिनांक 16.09.2020 के आदेश के द्वारा, सी०सी०टी०वी० कैमरों की सटीक स्थिति का पता लगाने के लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पक्षकारित किया परमवीर सिंह सैनी बनाम बालजीत सिंह व अन्य ।

[आर. एफ. नारीमन, जे.]

शफी मोहम्मद (सुप्रा) में इस न्यायालय के आदेश दिनांक 03.04.2018 के अनुसार प्रत्येक थाने के साथ-साथ ओवरसाइट समितियों के गठन की योग्यता।

7. इस न्यायालय के उक्त निर्देशों के अनुसार, 14 राज्यों (24.11.2020 तक), पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, पंजाब, नागालैंड, कर्नाटक, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, असम, सिक्किम मिजोरम, मध्य प्रदेश, मेघालय, मणिपुर; और 2 केंद्र शासित प्रदेश, अर्थात्, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और पुडुचेरी द्वारा अनुपालन शपथ पत्र और कार्रवाई रिपोर्ट दायर की गई थी

8. अधिकांश अनुपालन शपथ पत्र और कार्रवाई रिपोर्ट प्रत्येक थाने के सी०सी०टी०वी० कैमरों की सटीक स्थिति का खुलासा करने में विफल रहती है। हलफनामे संबंधित राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में कार्यरत थानों की कुल संख्या के संबंध में विवरण से परे हैं; प्रत्येक और प्रत्येक थाने में स्थापित सी०सी०टी०वी० कैमरों की कुल संख्या; पहले से स्थापित सी०सी०टी०वी० कैमरों की स्थिति; सी०सी०टी०वी० कैमरों की काम करने की स्थिति; क्या सी०सी०टी०वी० कैमरों में

रिकॉर्डिन है , यदि हाँ, तो कितने दिनों/घंटों के लिए, खुलासा नहीं किया गया है। इसके अलावा, दिनांक 03.04.2018 के आदेश के अनुसार ओवरसाइट समितियों के गठन की स्थिति योग्यता, और/या संबंधित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पहले से गठित ओवरसाइट समितियों के संबंध में विवरण का भी खुलासा नहीं किया गया है।

9. सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा अनुपालन हलफनामे दायर किए जाने हैं, जैसा कि पहले कहा गया है, या तो राज्य के प्रधान सचिव या सचिव, राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के गृह विभाग । यह सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा किया जाना है, जिनमें इस आदेश के पैराग्राफ 8 में उल्लिखित विवरणों को बताते हुए, अब तक तथाकथित अनुपालन हलफनामे दायर किए गए हैं। ये हलफनामे आज से छह सप्ताह की अवधि के भीतर दायर किए जाने हैं।

10. जहां तक हमारे आदेश दिनांक 03.04.2018 के अनुसार ओवरसाइट समितियों के गठन का संबंध है, यह राज्य और जिला स्तरों पर किया जाना चाहिए। राज्य स्तरीय ओवरसाइट समिति (इसके बाद "एस०एल०ओ०सी" के रूप में संदर्भित) में शामिल होना चाहिएः

(i)। सचिव/अतिरिक्त सचिव, गृह विभाग;

(ii) सचिव/अपर सचिव, वित्त विभाग;

(iii) पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिरीक्षक; और

(iv) राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष/सदस्य।

11. अब तक जिला स्तरीय ओवरसाइट कमेटी (इसके बाद "डी०एल०ओ०सी" के रूप में संदर्भित) का संबंध है, इसमें शामिल होना चाहिएः

(i)जिले के संभागीय आयुक्त/प्रभाग/क्षेत्रीय आयुक्त/राजस्व आयुक्त प्रभाग (जो भी नाम से जाना जाता है);

(ii) जिला मजिस्ट्रेट;

(iii) उस जिले का एक पुलिस अधीक्षक; तथा

(iv)जिले के भीतर नगरपालिका का एक मेयर/ग्रामीण क्षेत्रों में जिला पंचायत का प्रमुख।

12. एस०एल०ओ०सी का यह कर्तव्य होगा कि वह इस न्यायालय द्वारा पारित निर्देशों को पूरा करे। दूसरों के बीच, कर्तव्यों में शामिल होंगेः

(a) सी०सी०टी०वी० और इसके उपकरणों की खरीद, वितरण और स्थापना;

(b) उसी के लिए बजटीय आवंटन प्राप्त करना;

(c) सी०सी०टी०वी० और इसके उपकरणों के रखरखाव और रखरखाव की निरंतर निगरानी;

(d) निरीक्षण करना और डी०एल०ओ०सी से प्राप्त शिकायतों का समाधान करना; तथा

(e) डी०एल०ओ०सी से मासिक रिपोर्ट मंगाने के लिए और दोषपूर्ण उपकरणों की शिकायतों का समाधान करना।

इसी तरह, डी०एल०ओ०सी० के निम्नलिखित दायित्व होंगेः

(a)सी०सी०टी०वी० और इसके उपकरणों का पर्यवेक्षण, रखरखाव और रखरखाव;

(b)सीसीटी बनाम और इसके उपकरणों के रखरखाव और रखरखाव की निरंतर निगरानी;

(c) सी०सी०टी०वी० और इसके उपकरणों के कामकाज और रखरखाव के रूप में स्टेशन हाउस अधिकारी (बाद में "एसएचओ" के रूप में संदर्भित) के साथ बातचीत करने के लिए; और

(d) सी०सी०टी०वी० और संबद्ध उपकरणों के कामकाज के बारे में एस०एल०ओ०सी० को मासिक रिपोर्ट देना।

(e) विभिन्न पुलिस स्टेशन में सी०सी०टी०वी० से संग्रहीत फुटेज की समाक्षा करने के लिये की किसी भी मानवाधिकार उल्लंघन की जांच करने के लिए जो हो सकते हैं लेकिन रिपोर्ट नहीं किए गए हैं।

13. यह स्पष्ट है कि इसमें से कोई भी उसी के लिए पर्याप्त धन के आवंटन के बिना नहीं किया जा सकता है, जो कि राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त विभागों द्वारा जल्द से जल्द किया जाना चाहिए।

14. सी०सी०टी०वी० के काम, रखरखाव और रिकॉर्डिंग के लिए कर्तव्य और जिम्मेदारी संबंधित थाने के एस०एच०ओ० की होगी। यह एस०एच०ओ० का कर्तव्य और दायित्व होगा कि वह तुरंत सी०सी०टी०वी० के उपकरण या खराबी के साथ डी०एल०ओ०सी को किसी भी गलती की रिपोर्ट करे। किसी विशेष थाने में सी०सी०टी०वी० काम नहीं कर रहे हैं, संबंधित एस०एच०ओ उक्त अवधि के दौरान उस थाने में की गई गिरफ्तारी/पूछताछ के डी०एल०ओ०सी को सूचित करेगा और

उक्त रिकॉर्ड को आगे बढ़ाएगा। अगर संबंधित एस०एच०ओ०ने किसी विशेष थाने के सी०सी०टी०वी० में खराबी या गैर-कार्य करने की सूचना दी है, डी०एल०ओ०सी० तुरंत एस०एल०ओ०सी० से उपकरणों कीमरम्मत और खरीद के लिए अनुरोध करेगा, जो तुरंत किया जाएगा।

15। प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक को संबंधित थाने के एस०एच०ओ० को सी०सी०टी०वी० कैमरों की कार्य स्थिति का आकलन करने की जिम्मेदारी सौंपने के लिए एक थाने के प्रभारी व्यक्ति को निर्देश जारी करना चाहिए। सभी गैर-कार्यात्मक सी०सी०टी०वी० कैमरों के कामकाज को बहाल करने के लिए सुधारात्मक कार्रवाई करने के लिए भी। एस०एच०ओ० को सी०सी०टी०वी० डेटा रखरखाव, डेटा के बैकअप, सुधार आदि।के लिए भी जिम्मेदार बनाया जाना चाहिए।

16.राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सरकारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि संबंधित राज्य और/या केंद्र शासित प्रदेश में प्रत्येक थाने में सी०सी०टी०वी० कैमरे लगाए जाएं। इसके अलावा, यह सुनिश्चित करने के लिए कि थाने का कोई भी हिस्सा खुला नहीं है, यह सुनिश्चित करना अनिवार्य है कि सभी प्रवेश और निकास बिंदुओं पर सी०सी०टी०वी० कैमरे लगाए गए हैं; थाने का मुख्य द्वार; सभी लॉक-अप; सभी गलियारे; लॉबी/रिसेप्शन क्षेत्र; सभी बरामदे/आउट हाउस, इंस्पेक्टर का कक्ष; सब-इंस्पेक्टर का कक्ष; लॉक-अप रूम के बाहर के क्षेत्र; स्टेशन हॉल; थाने परिसर के सामने; बाहर (अंदर नहीं) वॉशरूम/शौचालय; ड्यूटी ऑफिसर का कक्ष; थाने का पिछला हिस्सा आदि।

17. सी०सी०टी०वी० सिस्टम जिन्हें स्थापित किया जाना है, उन्हें रात की दृष्टि से लैस होना चाहिए और आवश्यक रूप से ऑडियो के साथ-साथ वीडियो फुटेज भी होना चाहिए। जिन क्षेत्रों में बिजली और/या इंटरनेट नहीं है, उनमें यह राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों का कर्तव्य होगा कि वे सौर/पवन ऊर्जा सहित बिजली प्रदान करने के किसी भी तरीके का उपयोग करके यथाशीघ्र प्रदान करें। जो इंटरनेट सिस्टम प्रदान किए जाते हैं, वे भी ऐसे सिस्टम होने चाहिए जो स्पष्ट छवि संकल्प और ऑडियो प्रदान करते हैं। सभी में सबसे महत्वपूर्ण सी०सी०टी०वी० कैमरा फुटेज का भंडारण है जो डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर और/या नेटवर्क वीडियो रिकॉर्डर में किया जा सकता है। सी०सी०टी०वी० कैमरों को फिर ऐसे रिकॉर्डिंग सिस्टम के साथ स्थापित किया जाना चाहिए ताकि डेटावहां संग्रहीत किया जाता है जिसे 18 महीने की अवधि के लिए संरक्षित किया जाएगा। यदि रिकॉर्डिंग उपकरण, जो आज बाजार में उपलब्ध है, में 18 महीने तक रिकॉर्डिंग रखने की क्षमता नहीं है, लेकिन कम समय के लिए, यह सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्र सरकार के लिए एक खरीदने के लिए अनिवार्य होगा जो अनुमति देता है अधिकतम संभव अवधि के लिए भंडारण, और, किसी भी मामले में, एक वर्ष छह माह से नीचे नहीं। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि सभी राज्यों द्वारा इसकी समीक्षा की जाएगी ताकि उपकरण खरीदे जा सकेंजो बाजार में व्यावसायिक रूप से उपलब्ध होते ही 18 महीने तक डेटा को स्टोर करने में सक्षम है। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्र सरकार द्वारा दायर किए जाने वाले अनुपालन का हलफनामा स्पष्ट रूप से इंगित करेगा कि तारीख के अनुसार उपलब्ध सर्वोत्तम उपकरण खरीदे गए हैं।

18. जब भी थानों पर बल प्रयोग किए जाने की सूचना मिलती है, जिसके परिणामस्वरूप गंभीर चोट और/या हिरासत में मौत हो जाती है, तो यह आवश्यक है कि व्यक्ति उसी के निवारण के लिए शिकायत करने के लिए स्वतंत्र हों। इस तरह की शिकायतें न केवल राज्य मानवाधिकार आयोग को की जा सकती हैं, जो तब अपनी शक्तियों का उपयोग करने के लिए है, विशेष रूप से मानव अधिकारों के संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 17 और 18 के तहत, ऐसी शिकायतों के निवारण के लिए, लेकिन मानवाधिकारों के लिए भी न्यायालय, जिसे तब पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 30 के तहत स्थापित किया जाना चाहिए।प्रत्येक राज्य/केंद्र शासित प्रदेश का प्रत्येक जिला। आयोग/न्यायालय तब अपनी सुरक्षा के लिए घटना के संबंध में तुरंत सी०सी०टी०वी० कैमरा फुटेज मंगा सकता है, जो तब की गई शिकायत को आगे बढ़ाने के लिए एक जांच एजेंसी को उपलब्ध कराया जा सकता है।

19. भारत संघ को एक हलफनामा भी दाखिल करना है जिसमें वह इस न्यायालय को केंद्रीय ओवरसाइट निकाय के संविधान और कामकाज पर अद्यतन करेगा, जिसमें पूर्ण विवरण दिया जाएगा। इसके अलावा, भारत संघ को निम्नलिखित के कार्यालयों में सी०सी०टी०वी० कैमरे और रिकॉर्डिंग उपकरण स्थापित करने के लिए भी निर्देशित किया जाता है:

(i) केंद्रीय जांच ब्यूरो (सी०बी०आई०) **(ii)।** राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एन०आई०ए)(**iii**) प्रवर्तन निदेशालय (ई०डी०) (**iv**) नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एन०सी०बी) (**v**) राजस्व खुफिया विभाग

(डी०आर०आई) (**vi**) गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एस०एफ०आई०ओ) (**vii)** कोई अन्य एजेंसी जो पूछताछ करती है और उसके पास गिरफ्तारी की शक्ति। है
जैसा कि इनमें से अधिकांश एजेंसियां अपने कार्यालय (कार्यालयों) में पूछताछ करती हैं, सी०सी०टी०वी० को उन सभी कार्यालयों में अनिवार्य रूप से स्थापित किया जाएगा जहां आरोपियों से पूछताछ और पकड़ उसी तरह से होती है जैसे कि एक थाने में होती है।सीओबी दिल्ली और दिल्ली के बाहर दोनों जगह स्थित जांच/प्रवर्तन एजेंसियों के कार्यालयों के लिए एस०एल०ओ०सी० के रूप में एक ही कार्य करेगा।

20 एस०एल०ओ०सी० और सीओबी (जहां लागू हो) सभी थानों,जांच/प्रवर्तन एजेंसियों को सी०सी०टी०वी० द्वारा संबंधित परिसर के कवरेज के बारे में प्रवेश द्वार और थानों /जांच/प्रवर्तन एजेंसियों के कार्यालयों के अंदर प्रमुखता से प्रदर्शित करने के लिए निर्देश देंगे। यह अंग्रेजी, हिंदी और स्थानीय भाषा में बड़े पोस्टरों द्वारा किया जाएगा। उपरोक्त के अलावा, यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाएगा कि एक व्यक्ति को मानवाधिकार उल्लंघन के बारे में शिकायत करने का राष्ट्रीय/राज्य मानवाधिकार आयोग, मानवाधिकार न्यायालय या पुलिस अधीक्षक या किसी अन्य प्राधिकारी को अपराध का संज्ञान लेने का अधिकार है।यह आगे उल्लेख करेगा कि सी०सी०टी०वी० फुटेज एक निश्चित न्यूनतम समय अवधि के लिए संरक्षित है, जो छह महीने से कम नहीं होगा, और पीड़ित को अपने मानवाधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में समान सुरक्षित होने का अधिकार है।

21. चूंकि ये निर्देश भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत भारत के प्रत्येक नागरिक के मौलिक अधिकारों के आगे हैं, और चूंकि हमारे पहले आदेश दिनांक 03.04.2018 के बाद से दो से अधिक वर्षों की अवधि के लिए इस संबंध में कुछ भी पर्याप्त नहीं किया गया है। कार्यकारी/प्रशासनिक/पुलिस अधिकारियों को इस आदेश को पत्र में जल्द से जल्द लागू करना है। शपथ पत्र प्रधान सचिव/कैबिनेट सचिव/गृह सचिव द्वारा दायर किए जाएंगे। राज्य/केंद्र शासित प्रदेश इस न्यायालय को आज के आदेश के अनुपालन के लिए सटीक समय-सीमा के साथ एक ठोस कार्य योजना देगा । यह आज से छह सप्ताह की अवधि के भीतर किया जाना है।

22.हम श्री सिद्धार्थ दवे के प्रति अपनी कृतज्ञता दर्ज करते हैं, इस न्यायालय को अपनी सेवाएं प्रदान करने के लिए एमिकस क्यूरी सीखा।

23. सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सभी मुख्य/प्रधान सचिवों को सर्वोच्च न्यायालय की रजिस्ट्री, दोनों भौतिक और साथ ही इलेक्ट्रॉनिक साधनों से, आज हीइस आदेश की एक प्रति भेजेगी।

24.दिनांक 27.01.2021 के लिये लिस्ट किया जाये।

Divya Chandra
Judicial Magistrate,
Shamli